झारखण्ड विधान-सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गृह रक्षक (संशोधन) विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड गृहरक्षक (संशोधन) विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

प्रस्तावना ।

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

2. झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 03, 2006) की धारा-8(1) में संशोधन ।

झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 03, 2006) में संशोधन हेतु झारखण्ड गृहरक्षक (संशोधन) विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-43, दिनांक 25 जनवरी, 2006 द्वारा अधिनियमित झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 03, 2006) को झारखण्ड राज्य में लागू एवं प्रवर्तन करने के लिए संशोधन हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मण्डल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-**

    1. यह अधिनियम झारखण्ड गृह रक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा ।
    2. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
    3. यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. **झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 03, 2006) की धारा 8(1) में संशोधन ।**

झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 03, 2006) की धारा 8(1) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जायेगी :-

इस निमित्त नियमावली की शर्त्तों के अधीन एक गृह रक्षक को चार वर्षों तक के लिए (प्रशिक्षण में बिताई गई अवधि सहित) राज्य सरकार को सेवा देनी होगी तथा उन्हें किसी भी समय कर्त्तव्य पर बुलाया जा सकेगा किन्तु उनकी उम्र 58 (अनठावन) वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यह विधेयक झारखण्ड गृहरक्षक (संशोधन) विधेयक, 2012 दिनांक 29 मार्च, 2012 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 29 मार्च, 2012 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 152--50--30-03-2012 ।